कार्यालय संचालक संपदा संचालनालय,भोपाल ::

:: लिंक रोड न. 3 , एकांत पार्क के पास चारइमली, भोपाल::
Web site name www.sampada.mp.gov.in , Email- directorsampada@gmail.com
Phone/FAX - 0755- 2463053 (Dir), 2441387 (AO)

क्रमांक/ /संपदा/857/ /शाखा/आ०/ /2023 भोपाल, दिनांक : 17/01/2024

प्रति,

अवर सचिव
मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषयः–विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 ।
संदर्भ :शासन का पत्र कमांक 75/1078359/2023/दो–ए(3) भोपाल,दि. 11.01.2024

::::::::::oo::::::::::

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के संबध में कार्यालय संपदा संचालनालय भोपाल के विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 की जानकारी चाही गई है । अतः विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 जानकारी तैयार कर मंगल फान्ट में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

संचालक द्वारा अनुमोदित

16/1/24
आवंटन अधिकारी
संपदा संचालनालय,भोपाल

संपदा संचालनालय,भोपाल

Website : www.sampada.mp.gov.in

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

संपदा संचालनालय द्वारा शासकीय आवासों के आवंटन संबंधी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000' (संशोधित 04.10.2013, 01.10.14, 23.05.16) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है। मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं। संचालनालय द्वारा विभिन्न प्रकार के शासकीय आवासों यथा:- बी श्रेणी-105, सी श्रेणी-61, डी श्रेणी-255, ई श्रेणी-483 तथा एफ श्रेणी-1981, जी श्रेणी-3649, एच श्रेणी-2159, आई श्रेणी-2509 शासकीय आवास, इस प्रकार कुल 11,202 शासकीय आवास है। शासन की स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत साउथ एवं नार्थ टी टी नगर के 3146 आवासों को तोडे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रकार कुल 8056 शासकीय अवासों का आवंटन एवं निष्कासन की कार्यवाही की जाती है।

नवाचार:-

नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन हेतु ई-आवास Web-Poral: www.sampada.mp.gov.in NIC के माध्यम से विकसित किया गया है। गृह विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन नियम अंतर्गत एफ, जी, एच एवं आई श्रेणी के आवास आवंटित किये जाते है। नवीन वेबपोर्टल द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है । इस वेबसाईट के माध्यम से अपने शासकीय आवास आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

एक ओर जहां नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। वहीं दूसरी ओर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। इस नई ई आवास प्रणाली से दिनांक 14.02.2020 को भोपाल स्थित समस्त ' 'आहरण संवितरण अधिकारियों' ' को परिचित कराने के लिए 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आवास आवंटन उपरांत E-mail/SMS द्वारा आवंटन की जानकारी संबंधित शासकीय आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भी दी जाती है एवं आवंटन की सूची कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है।

समस्त शासकीय आवासों में निवासरत् अधिकारियों/कर्मचारियों से एप्म्लाई कोड प्राप्त किये जा रहे है एवं जिसके आधार पर जीओ टैगिग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

<u>आवास आवंटनः-</u>

'एफ' 'जी' , 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबपोर्टल www.sampada.mp.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। श्रेणियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण का प्रावधान है। अतएव आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक-पृथक संधारित की जाती है। शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू है:-

क्र	श्रेणी	F एवं G श्रेणी (प्रतिशत में)	H एवं I श्रेणी (प्रतिशत में)
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्य पिछडा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

नोटः- विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणियों (एफ, जी, एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1-1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है।

शासन द्वारा साउथ/नार्थ टी टी नगर स्थित स्मार्ट सिटी योजना के रहवासियों से आवास रिक्त कराये जाकर सामान्य श्रेणी के नवीन आवास आवंटित किये जा रहे है। इस कारण जी, एच एवं आई श्रेणी के अंतर्गत रहवासियों के लिये आवास सुरक्षित रखे गये है। आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2022 में जी श्रेणी के अंतर्गत कुल 66 एवं एफ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बैठको में समिति द्वारा आज दिनांक तक कुल 467 आवास आवंटित किये गये है।

निष्कासनः-

मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 अंतर्गत भोपाल स्थित शासकीय एवं विभागीय आवासों में अनाधिकृत रूप से निवासरत आवंटितियों एवं अन्य से आवासों को रिक्त कराने की कार्यवाही की जाती है। जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक सामान्य पूल एवं विभागीय अन्य विभिन्न श्रेणियों के 66 प्रकरण दर्ज किये गये, कुल 06 शासकीय आवास रिक्त कराये गये एवं शेष 60 प्रकरणों पर आवास रिक्त कराये जाने नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय में शासकीय आवास रिक्त कराय जाने हेतु तहसीलदार अधिकृत है, वर्तमान में विगत वर्ष से तहसीलदार का पद रिक्त है ।

स्मार्ट सिटीः-

भोपाल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए संपदा संचालनालय द्वारा साउथ एवं नार्थ टी0टी0 नगर के एफ श्रेणी से आई श्रेणी तक के कुल 3146 शासकीय आवास रिक्त कराये जाकर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। स्मार्ट सिंटी योजना के अंतर्गत साउथ एंव नार्थ टीटी नगर के तोडे जा रहे आवासों के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी द्वारा जहॉगीराबाद स्थित महालक्ष्मी परिसर के एफ श्रेणी 180, जी श्रेणी 320 एवं एच श्रेणी 51 इस प्रकार कुल 551 आवास आवंटित किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये गये है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त आवास संपदा संचालनालय को आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये है।

महालक्ष्मी परिसर स्थित आवासों में से जी श्रेणी 120 आवास एवं एफ श्रेणी 40 आवास कुल 160 आवास म.प्र.पुलिस महानिरीक्षक को सीआई कॉलोनी जहागीराबाद का क्षेत्र भोपाल मेट्रो सिटी योजना में आने के कारण पुलिस विभाग के कर्मचारियो के विस्थापितो को आवंटित किये गये है। महालक्ष्मी परिसर के शेष आवासो का आवंटन भी किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के कुल 3146 आवासों में से 1766 आवास परिवर्तन कर रिक्त /तोडें जा चुके है, 1380 शेष है । स्मार्ट सिटी भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार होटल पलाश के सामने निर्माणधीन फेस 1 में नवीन आवास एफ-336, जी-364 कुल 700 आवासो का कार्य प्रगति पर है।

स्मार्ट सिटी योंजना के अंतर्गत रिक्त कराये जाने वाले आवासों के स्थान पर अन्य वैकल्पिक आवास अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित होने तक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा जी, एचं एवं आई श्रेणी के नवीन आवास आवंटन पर रोक लगाई गयी है अतः जी, एच एवं आई श्रेणी की आवास आवंटन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।

स्थापनाः-

संपदा संचालनालय अंतर्गत निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत्	रिक्त
1	संचालक (भा. प्र. से.)	1		1
2	आवंटन अधिकारी- (रा. प्र. से.)	1		1
3	तहसीलदार	1		1
4	सहायक अधीक्षक	1	-	1
5	स्टेनोग्राफर	1	-	1
6	सहायक प्रोग्रामर	1	1	-
7	राजस्व निरीक्षक	2	-	2
8	सहायक वर्ग दो	4	1	3
9	सहायक वर्ग तीन	7	2	5
10	वाहन चालक	1	-	1 स्थायी कर्मी कार्यरत
11	भृत्य	7	4	3
	योगः:	27	8	19

वर्तमान में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलित है। विभागीय जांच निरंक है एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ राजस्व निरीक्षक का स्थानांतरण जिला कार्यालय भोपाल हो जाने उपंरात राजस्व निरीक्षकों के 02 पदों की पूर्ति आज दिनांक तक नहीं की गई है साथ ही संयुक्त कलेक्टर स्तर का आंबटन अधिकारी, का पद एवं तहसीलदार का 01 पद भी वर्तमान में रिक्त है, उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को लिखा गया है ।

बजट प्रावधान वर्ष 2023-24 :

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या- 03, अंन्तर्गत रू. 2.47करोड बजट प्रावधानित है, संपदा संचालनालय व्दारा किसी भी प्रकार की योंजना/परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, और न ही शासन व्दारा योजना हेतु बजट राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

संचालक
संपदा संचालनालय, भोपाल

संचालक
संपदा संचालनालय, भोपाल